संख्या-72/2024/।/717698/2024/001-71-2002-002-1-2022-

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-**13-08-2024**

विषय:- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के मुख्य परिसर को एकेडेमिक ब्लाक से जोड़ने हेतु उपरिगामी पैदल सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-928/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2024/मेके0, दिनांक 18.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के मुख्य परिसर को एकेडेमिक ब्लाक से जोड़ने हेतु उपरिगामी पैदल सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-95/2023/।/371366/2023 दिनांक 22 अगस्त, 2023 द्वारा धनराशि रू0 456.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 228.25 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के मुख्य परिसर को एकेडेमिक ब्लाक से जोड़ने हेतु उपरिगामी पैदल सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में संस्थान के वृहद निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना की अवशेष द्वितीय किस्त की धनराशि रू0 228.25 लाख (रुपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से रू0 180.32 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 47.93 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
2. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन की लागत को अनुमन्य नहीं किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संस्थान का होगा।
4. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निदेशक का होगा।
7. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294 /दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित प्रतिबन्ध /दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
9. प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-95/2023/।/371366/2023/001-71-2002-002-1-2022, दिनांक 22.08.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,80,32,000 (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख बत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 47,93,000 (रुपये सैंतालीस लाख तिरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-72/2024/I/717698/2024/**001-71-2002-002-1-2022, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य् सेतु निगम लिमि0, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभाग), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
10. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanad

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।